बिहार विधान-सभा वादवृत

शुक्रवार, तिथि २२ सितम्बर, १९७२

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में शुक्रवार, तिथि २२ सितम्बर, १९७२ को पूर्वाह्न ९ बजे अध्यक्ष श्री शकुर अहमद के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम ४ के परन्तुक के अनुशरण में प्रश्नों के लिखित उत्तरों का सभा मेज पर रखा जाना।

श्री दारोगा प्रसाद राय—महाश्य, मैं षष्ठ बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९७२ के ३२१ अनागत तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम—४ को ? परन्तुक के अनुसार सदन की मेज पर रखता हुँ।*

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहन किया)

प्रश्नों के सम्बंध में चर्चा

श्री भोला प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है और वह यह है कि आप इन प्रश्नों के पोथे को देख लें और इन्हें अगले सत्र के लिए रख दें।

अध्यक्ष—मैंने आपकी बात को समझ लिया। लेकिन अगले सत्र के लिए फिर और भी प्रश्न आनेवाले हैं और हो सकता है कि वे महत्वपूर्ण प्रश्न आनेवाले हों। इस परिस्थिति में जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उनके उत्तर यथाशीघ्र माननीय सदस्यों के बीच वितरित करा दिए जायँ। अब जो प्रश्न आज पूछे जा सकते है वे न हुंछे जाये।

पाद टिप्पणी * कृपया परिशिष्ट-ब देखें।

श्री रामलखन तिवारी सरपंच पर आरोप

सामु०-१९९-श्री रामस्वरूप प्रसाद—क्या मन्त्री, सामुदायिक विकास विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत केराडारी प्रखण्ड कार्यालय से श्री रामलखन तिवारी, सरपंच, ग्राम करालो कितनी स्कीमें १९६६ से आजतक हैं;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त स्कीमें के किन-किन स्कीमों में कितना-कितना का कार्य किया गया और कौन-कौन स्कीमों में कितनी-कितनी राशि रिकौभरी की गई है;

(३) क्या यह बात सही है कि उक्त सरपंच स्कीम लेकर कार्य नहीं किये हैं और गलत ढंग से भुगतान लिये हैं;

(४) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्कीम लेकर कार्य नहीं करने और गलत ढंग से भुगतान लेनेवाले व्यक्ति पर कौन-सी कार्रवाई करने जा रही है, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केदार पाण्डेय, मुख्य मंत्री—(१) १९६६ से आजतक श्री रामलखन तिवारी को १४ विभिन्न योजनाओं का ठीका दिया गया है; जिसकी सूची संलग्न है।

(२) सूची से यह स्पष्ट होगा कि १४ योजनाओं में से ९ योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है और उन सबों में रिकौभरी का प्रश्न नहीं उठता। बाकी ५ लम्बित योजनाओं में दी गयी अग्रिम राशि को वसूल करने के लिए सर्टिफिकेट मुकदमें दायर किये गये हैं। वसूली की प्रक्रिया जारी है।

उत्तर नकारात्मक है।

(४) पाँच लम्बित योजनाओं के अग्रिम की वसूली के लिए सर्टिफिकेट मुकदमें दायर हैं। किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामलखन तिवारी सरपंच ग्राम कराली को ठीका देने के बारे में योजना का विवरण १९६६ से आज तक

क्रम सं०	वर्ष	अभिलेख संख्या	योजना का नाम	अग्रिम भुगतान किये गये राशि	कितने रुपये का कार्य किया गया	कितनी राशि रिकभरी की गई	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५	६	७	८
१	६३-६७	१०	आर-डब्लू-पी	२१५२-५०	४३०५-००	प्रश्न नहीं उठता है।	४० प्रतिशत कि योजना था।
२	६६-६७	९५	सहाय्य योजना	२१५०-८०	२१५०-००	वही	कार्य पूरी हो चुका है
३	६६-६७	१२३	,, ,,	३०८३-००	३०८६-००	,, ,,	,,
४	६७-६८	२६	,, ,,	३३०-००	३३०-००	,,	,,
५	६७-६८	२७	,, ,,	३३०-००	३३०-००	,,	,,
६	३७-६८	२८	,, ,,	६२४-००	६२४-००	,,	,,
७	६७-६८	२४	कच्चा से पक्का सिंचाई कूप	४५०-००	—	—	—
८	६७-६८	३१	,, ,,	४५०-००	—	—	—
९	६७-६८	१०	सिंचाई कूप	९१३-००	९१३-००	,,	कार्य पूरा हो चुका है
१०	६८-६९	१	,,	५००-००	—	—	—
११	६८-६९	२	,,	४५०-००	—	—	—
१२	६९-७०	३	,,	२००-००	—	—	—
१३	७१-७२	१२	,, सहाय्ययोजना	११००-००	७१२-००	—	काम चल रहा था अन्तिम नापी
१४	७१-७२	१२	,, ,,	२८००-००	२३५७-६७	—	बाकी है। ,, ,,

नोट :—७,८,१०,११, एवं १२ पर दी गई अग्रिम राशि की सूद सहित वसूल करने के लिए सर्टिफिकेट मुकदमा दायर किया गया है।